मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २३ सन् २०२२

मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ एवं मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग-एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

भाग-दो

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ का संशोधन

धारा ३१ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ३६ सन् १९८३) की धारा ३१ में उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

"३ (क) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभिकथित किसी व्यक्ति को, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् ऐसी राशि के भुगतान पर, जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, अपराध का प्रशमन करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और किसी सहायक श्रम अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को प्रशमन करने और उसकी राशि अवधारित करने के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार अधिसूचित और प्राधिकृत भी कर सकेगी.

(ख) इस अधिनियम के अधीन शोध्य तथा देय अभिदाय की राशि, यदि कोई हो, के भुगतान पर, और प्रशमन की ऐसी राशि, जैसी कि खण्ड (क) के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अवधारित की जाये, भुगतान पर,—

(एक) अपराधी किसी अभियोजन का दायी नहीं होगा; और

(दो) यदि कोई अभियोजन पहले ही संस्थित किया जा चुका है, तो प्रशमन का परिणाम अपराधी की दोषमुक्ति होगा.".

भाग-तीन

मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ का संशोधन

धारा १९ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक १३ सन् १९८३) की धारा १९ को उसकी उपधारा (१) के रूप में क्रमांकित की जाए, और इस प्रकार क्रमांकित उपधारा के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

"२(क) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभिकथित किसी व्यक्ति को, अभियोजन संस्थित

किये जाने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् ऐसी राशि के भुगतान पर, जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, अपराध का प्रशमन करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और किसी सहायक श्रम अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को प्रशमन करने और उसकी राशि अवधारित करने के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार अधिसूचित और प्राधिकृत भी कर सकेगी.

(ख) प्रशमन की ऐसी राशि, जैसी कि खण्ड (क) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अवधारित की जाये, भुगतान पर,—

(एक) अपराधी किसी अभियोजन का दायी नहीं होगा; और

(दो) यदि कोई अभियोजन पहले ही संस्थित किया जा चुका है, तो प्रशमन का परिणाम अपराधी की दोषमुक्ति होगा.''

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ३६ सन् १९८३) की धारा ३१ तथा मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक १३ सन् १९८३) की धारा १९ में कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए अभियोजन और शास्ति के लिए उपबंध अंतर्विष्ट हैं. ''ईज ऑफ डुइंग बिजनेस'' के अधीन, प्रशमन की व्यवस्था को जोड़ा जाना है, जिससे कि न्यायालयीन कार्यवाहियों के स्थान पर प्रशमन की राशि प्रभारित कर मामले का समाधान किया जा सके. अतएव, दोनों अधिनियमों में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १५ दिसम्बर, २०२२.

बृजेन्द्र प्रताप सिंह
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) विधेयक, २०२२ के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है. उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड २ एवं ३ द्वारा अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् भुगतान हेतु प्रशमन की राशि नियत किए जाने एवं उक्त हेतु अधिकारी नियत किए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी, जो सामान्य स्वरूप की होगी.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (१९८३ क्रमांक ३६) से उद्धरण.

* * * * *

धारा ३१ (१) कोई भी व्यक्ति, जो किसी निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में जानबूझकर बाधा पहुंचायेगा, या किसी निरीक्षक द्वारा मांग की जाने पर किन्हीं ऐसे रजिस्टरों, अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों को, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में रखे गये हैं, निरीक्षण के लिये पेश नहीं करेगा, या मांग की जाने पर ऐसे किन्हीं दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपियों का उसे प्रदाय नहीं करेगा, वह दोषसिद्धि पर,—

(क) प्रथम अपराध के लिये, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से; और

(ख) द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिये, कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा. परन्तु जहां अपराधी को केवल जुर्माने से दण्डादिष्ट किया जाता है. वहां जुर्माने की रकम दो हजार रुपये से कम नहीं होगी एवं

(२) यदि कोई नियोजक —

(क) ऐसे अभिदाय या किसी ऐसी राशि का, जिसका भुगतान करने के लिये वह इस अधिनियम के अधीन दायी है, भुगतान करने में चूक करता है, या

(ख) इस अधिनियम की या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों की किन्हीं अपेक्षाओं के किसी ऐसे उल्लंघन का या अननुपालन का दोषी है जिसके संबंध में कोई शास्ति उपबंधित नहीं की गई है, तो वह कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा."

* * * * *

मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (१९८३ क्रमांक १३) से उद्धरण.

* * * * *

धारा १९ (१) निरीक्षक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा पहुंचाने के लिये या दस्तावेज आदि पेश न करने के लिये शास्ति—

(१) कोई भी व्यक्ति, जो किसी निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में जानबूझकर बाधा पहुंचायेगा, या किसी निरीक्षक द्वारा मांग की जाने पर किसी ऐसे रजिस्टरों, अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों को, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में रखा जाना अपेक्षित है, निरीक्षण के लिये पेश नहीं करेगा, या मांग की जाने पर, ऐसे रजिस्टर या अभिलेख से सुसंगत विशिष्टियों की सत्यप्रतियों का या ऐसे किन्हीं दस्तावेजों की सत्यप्रतियों का उसे प्रदाय नहीं करेगा, वह दोषसिद्धि पर—

(क) प्रथम अपराध के लिये, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से; और

(ख) द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिये, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा. परन्तु जहां अपराधी को केवल जुर्माने से दण्डादिष्ट किया जाता है. वहां जुर्माने की रकम पचास रुपये से कम नहीं होगी.

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा